न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 14/2019 आवंटन नियम 14(4)

हनुमानसहाय पुत्र रामधन जाति गुर्जर निवासी ग्राम काबलेश्वर, तहसील दौसा जिला दौसा राज0

..प्रार्थी

बनाम

1. छोट्या पुत्र मूलचंद
2. पपली पुत्र मूलचंद
3. दौलत उर्फ केशव पुत्र मूलचंद
   समस्त जाति कोली निवासी ग्राम काबलेश्वर तहसील व जिला दौसा राज.
4. अध्यक्ष, आवंटन सलाहकार समिति जरिये अध्यक्ष, तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दौसा

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1976 हाल खसरा नंबर 237, 238 ग्राम गुडकी

उपस्थित–1. श्री दयाराम गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 3 की ओर से
3. पैरोकार सरकार

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

निर्णय

दिनांक: 11.01.2023

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 12.11.1976 को ग्राम गुडकी के साबिक खसरा नंबर 12 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन बरदू पुत्र भोमा को कर दिया। प्रार्थी द्वारा इसी आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 12.11.1976 को सिवायचक आराजी वर्तमान खसरा नंबर 237, 238 में से विधि विरूद्ध तरीके से भूमि का आवंटन आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अवैधानिक रूप से अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पूर्वज बरदू पुत्र भोमा को कर दिया। उक्त खसरा नंबर के संबंध में कोई उद्घोषणा नहीं की गई है ना ही मौके पर उक्त भूमि आवंटन योग्य थी, और न ही आवंटी का वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा रहा है। भूमि आवंटन हेतु विहित प्रक्रिया की पालना नहीं करते हुए विधि विरूद्ध तरीके से वादग्रस्त भूमि का आवंटन बरदू पुत्र भोमा कोली के पक्ष में किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 12.11.1976 को ग्राम गुडकी में बरदू पुत्र भोमा कोली निवासी काबलेश्वर के नाम भूमि आवंटन हुआ था, जिसमें आवंटी बरदू की मृत्यु हो जाने एवं बरदू के पुत्र मूलचंद की भी मृत्यु हो जाने से अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी सं. 1 से 3 के दादा के नाम आवंटन फार्म को विधिवत रूप से नहीं भरा गया है तथा आवंटन फार्म में 55 बीघा दर्शाया गया है। जबकि आवंटन 3 बीघा का हुआ है। साक्षी बतौर गवाहों के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त आवंटन से पूर्व अप्रार्थी सं. 1 से 3 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:18:39 IST
Reason: SelfAttested

......निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

दादा बरदू के नाम जमीन खसरा नंबर 1 में आवंटित की जा चुकी थी जो कि सरासर नियमों की अनदेखी की गई है। आवंटित भूमि बाबत सुपुदर्गीनामा रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 4.7.1977 को अवैध रूप से तैयार कर पेश की गई है जबकि वास्तविकता में उक्त भूमि कभी सुपुर्द ही नहीं की गई है। प्रार्थी का उक्त आवंटित भूमि पर पूर्व से ही कब्जा चला आ रहा है तथा उक्त भूमि उबड खाबड थी, जिसको प्रार्थी द्वारा लाखों रूपये खर्च कर कृषि योग्य बनाया है। आवंटन कमेटी द्वारा 3 बीघा भूमि आवंटन की अनुशंषा की गई है जबकि वर्तमान में 0.84है. भूमि गैर खातेदारी में अंकन किया हुआ है। भूमि आवंटन के समय एवं आवंटन से पूर्व खाली नहीं थी, बल्कि प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वजों का कब्जा काश्त था, इसलिए भी उक्त आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटन की कार्यवाही गुपचुप में की गई है। आवंटन फोड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन करके कराया गया है। वर्तमान में भी भूमि गैर खातेदारी में दर्ज है। अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी दलील दी कि भूमि आवंटन होने के 25 वर्ष तक भी यदि भूमि गैर खातेदारी में दर्ज हो तो उक्त भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया जाना चाहिए। अतः प्रा0पत्र अंतर्गत 14(4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार फरमाया जाकर निवेदन है कि बरदू पुत्र भोमा कोली के हक में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1976 को निरस्त फरमाये जावें।

Web Copy - Not Official

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 3 की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मिन अप्रार्थीगण के पूर्वज के हक में किया गया आवंटन विधि पूर्ण है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा की गई भूमि आवंटन के बाद पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा दिनांक 4.7.1977 को अप्रार्थी के पूर्वज बरदू को कब्जा सुपुर्द किये जाने के दिन से ही भूमि पर काबिज काश्त होकर लाभांवित चले आ रहे है। अप्रार्थी सं0 1 से 3 के पूर्वज द्वारा भूमि आवंटन हेतु जो आवेदन पत्र आवंटल कमेटी के समक्ष पेश किया गया था, वह पूर्णरूपेण था, जिसमें समस्त कॉलम भरे हुए थे। आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की अक्षरशः पालना की गई है। आवंटन कमेटी द्वारा आवेदन की गहनता से जांच कर विधिपूर्ण तरीके से भूमि का आवंटन किया गया है। प्रार्थी का अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 के पूर्वज बरदू को आवंटित भूमि से किसी भी प्रकार का कोई संबंध/वास्ता नहीं है। प्रार्थी का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 व उनके पूर्वजों द्वारा प्रश्नगत आवंटित भूमि को लाखों रूपये खर्च कर उपजाउ बनाया है। प्रार्थी गुर्जर जाति का व्यक्ति है जो कि अप्रार्थीगण सं0 1से 3 कोली जाति के व्यक्ति की भूमि पर जबरन लाठी के बल पर कब्जा करना चाहता है। इसी आशय से नितान्त झूंठे आधारों पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी का कभी भी उक्त भूमि पर ना तो वर्तमान में कब्जा काश्त है और ना ही पूर्व में कभी रहा है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा भूमि का आवंटन मजमें आम मे किया गया है। प्रार्थी को उक्त भूमि आवंटन की जानकारी आवंटन की दिनांक से ही रही है किन्तु प्रार्थी ने वर्ष 1976 में हुए आवंटन को इतनी लंबी अवधि के बाद चुनौती दी गई है। उक्त लंबी अवधि बाद आवंटन आदेश को चुनौती दिये जाने का कोई युक्तियुक्त [illegible] अंकित नहीं किया गया है। प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) आवंटन [illegible] होने से खारिज योग्य है। भूमि का आवंटन पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए विधिवत रूप से किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार का फोड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा बोगस, मिथ्या एवं निरधार प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:18:39 IST
Reason: SelfAttested

पैरोकार सरकार ने बहस में दलील दी कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 को अत्यधिक विलंब से अर्थात भूमि आवंटन के लगभग 43 वर्ष बाद चुनौती दी गई है। साथ ही प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलंब से पेश किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया गया है। प्रार्थी का प्रश्नगत

जिला कलेक्टर,दौसा

......निरंतर 3 पर

आवंटित भूमि पर कब्जा प्रमाणित नहीं होता है। भूमि आवंटन के बाद पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थी सं. 1 से 3 के पूर्वज को दो व्यक्तियों की उपस्थिति में आवंटित भूमि का कब्जा संभलाया गया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 से 3 को परेशान करने की नीयत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि का नियमानुसार आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 12.11.1976 को ग्राम गुडकी स्थित खसरा नंबर 12 में से 3 बीघा भूमि का आवंटन बरदू पुत्र भोमा कोली निवासी काबलेश्वर को किया गया था। पत्रावली में संलग्न मूल आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया गया। आवंटी बरदूराम द्वारा भूमि आवंटन किये जाने हेतु विधिवत रूप से आवेदन पत्र भरकर पेश किया गया था। भूमि आवंटन हेतु आवेदन पेश करने पर पटवारी हल्का की जांच की गई जिसमें आवंटी को भूमिहीन होना व राजकीय सेवा में नहीं होने की रिपोर्ट पेश की गई है। तत्पश्चात आवंटन कमेटी द्वारा भूमि का आवंटन मजमें आम में किया गया है। भूमि आवंटन के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा दो व्यक्तियों की मौजूदगी में आवंटित भूमि का कब्जा संभलाया गया था। प्रश्नगत भूमि वर्तमान में गैर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 12.11.1976 को लंबी अवधि बाद चुनौती दी गई है। अत्यधिक विलंब से आवंटन को निरस्त किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया गया है। साथ ही प्रार्थी यह तथ्य साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है कि प्रश्नगत भूमि पर प्रार्थी का कभी कब्जा काश्त रहा हो या वर्तमान में कब्जा काश्त हो। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रश्नगत भूमि का आवंटन पूर्ण प्रकिया अपनाते हुए विधिवत रूप से किया गया है। आवंटन आदेश में किसी भी प्रकार का फोड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन किया जाना नहीं पाया जाता है। हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 12.11. 1976 के द्वारा आवंटी बरदूराम के पक्ष में भूमि खसरा नंबर 12 मिन में से 3 बीघा भूमि वाके ग्राम गुडकी का किया गया आवंटन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:18:39 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 11 जनवरी, 20[illegible] को [illegible]खवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले [illegible]।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official